इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2016—कार्तिक 6, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,		(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,		(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.	
(ख)	(1) अध्यादेश,		(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,		(3) संसद के अधिनियम.	
(ग)	(1) प्रारूप नियम,		(2) अन्तिम नियम.			

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 05/10/2016

क्रमांक 1616/मप्रविनिआ/2016 विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (यत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मांग—परक प्रबंधन) विनियम, 2016 से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारंभ,–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मांग–परक प्रबंधन) विनियम, 2016'** है। (जी–42, वर्ष 2016)

(2) इन विनियमों का विस्तार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत् प्रदाय के लिए क्षेत्राधिकार से समवर्ती सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. परिभाषाएं,–

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003);

(ख) "आधार रेखा आंकड़ा" से अभिप्रेत है, कार्यक्रम के प्रभाव के आकलन के लिए तुलना हेतु प्रारंभिक बिंदु प्रदान करने के लिए मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पूर्व विद्युत् के लिए प्रारंभिक आधार स्तर और/या मांग;

(ग) "ब्यूरो " से अभिप्रेत है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 2 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित ऊर्जा दक्षता;

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(ङ) "लागत प्रभावोत्पादक सूचकांक " से अभिप्रेत है मांग परक प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के संसूचक या फिर ऐसे किसी पूंजी निवेश के अभाव में जब उत्पादित तथा प्रदाय की गई ऊर्जा की लागतों से तुलना की जाए;

(च) "मांग–परक प्रबंधन" से अभिप्रेत है विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत मापयंत्र (मीटर) के परे निष्पादित कार्यवाहियां जिनका उद्देश्य

विद्युत के उपभोक्ता उपयोग में परिवर्तन से है, भले ही वह मांग में वृद्धि या कमी करने के प्रयोजन से हो, इसे उच्च तथा न्यून शीर्ष अवधियों के मध्य अन्तरित करने से हो या फिर इसके प्रबंधन से है जब भार की मांग सविरामी हो – जिनका समग्र लक्ष्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी के हित में लागतों को कम करने से होता है;

(छ) "मांग–परक प्रबंधन संसाधन अधिग्रहण" से अभिप्रेत है ग्राहकों (उपभोक्ताओं), ऊर्जा सेवा कम्पनियों, गैर–शासकीय संगठनों, विनिर्माताओं/सामग्री प्रदायकों अथवा अन्य निजी क्षेत्र संगठनों के माध्यम से मांग–परक प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की क्रियाविधि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिणामी ऊर्जा तथा भार में कमी हेतु उन्हें भुगतान के साथ है ;

(ज) "ऊर्जा सेवा कम्पनी " कोई कम्पनी जो ग्राहकों (उपभोक्ताओं) को ऊर्जा दक्ष तथा भार प्रबंधन उपकरण और/या सेवाएं प्रदान करने संबंधी व्यापार में संलग्न है तथा ब्यूरो द्वारा अनुमोदित हैं ;

(झ) "मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन " से अभिप्रेत है ऐसी गतिविधियां जो मांग–परक प्रबंधन/ऊर्जा–दक्षता कार्यक्रमों या उनके विपणन पर्यावरण के निष्पादन या उनके अन्य पहलुओं का मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन करती हैं ;

(ञ) "अनुश्रवण तथा प्रतिवेदित करना " से अभिप्रेत है ऐसी गतिविधियां जो विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मांग–परक प्रबंधन/ऊर्जा–दक्षता कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करती हैं ।

3. मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्य, लक्ष्य तथा दिशा–निर्देश

1. आयोग, राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा ब्यूरो द्वारा नामनिर्दिष्ट समन्वयन अभिकरण के परामर्श से मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्यों को प्रतिपादित करेगा जिन पर राज्य में लागत प्रभावी मांग–परक प्रबंधन के पहल संबंधी प्रयासों को अग्रसर करने तथा इनके कार्यान्वयन के दौरान विचार किया जाएगा ।

2. इन उद्देश्यों में विद्युत की कमी का निराकरण करना, मौसमी–शीर्ष में कमी

करना, लागत प्रभावी ऊर्जा की बचत विद्युत की लागत को कम करना, ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, आदि को सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. मांग—परक प्रबंधन के उद्देश्यों का विन्यास करते समय ब्यूरो द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय मांग—परक उद्देश्यों/योजनाओं, यदि कोई हों, पर भी विचार किया जा सकता है ।

4. मांग—परक प्रबंधन के उद्देश्य, ब्यूरो द्वारा संस्थापित मांग—परक उद्देश्यों के अन्तर्गत देश के लिए प्रतिपादित की गई ऊर्जा संरक्षण योजना के सुसंगत होने चाहिए ।

4. मांग—परक प्रबंधन हेतु तकनीकी क्षमता का आकलन

1. वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा ब्यूरो द्वारा पदाभिहित राज्य समन्वय अभिकरण इन विनियमों की अधिसूचना के दिनांक से छह माह के भीतर राज्य में मांग—परक प्रबंधन की संभावनाओं का आकलन करेंगे ।

2. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मांग—परक प्रबंधन की तकनीकी संभावनाओं का आकलन करते समय ब्यूरो द्वारा विकसित की गई कार्य—पद्धति का अनुसरण करेंगे ।

5. मांग—परक प्रबंधन के लक्ष्य

(1) आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा ब्यूरो द्वारा नामोदिष्ट राज्य समन्वयन अभिकरण के परामर्श से मांग—परक प्रबंधन के लक्ष्य राज्य के प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु स्थापित करेगा ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, हेतु मांग—परक प्रबंधन के लक्ष्यों का निर्धारण करते समय उपभोक्ता मिश्र (consumer - mix), भार की रूपरेखा (load profile) जैसे कारकों पर यथोचित विचार किया जाएगा ।

(3) मांग—परक प्रबंधन के उदाहरणों में निम्न को शामिल किया जा सकता है:

(एक) भार वृद्धि में प्रतिशत कमी की जाना;

(दो) किलोवाट, किलोवाट ऑवर में बचत;

(तीन) भार की पूर्ति हेतु बचत, कुल संसाधनों के प्रतिशत के रूप में;

(4) लक्ष्यों का निर्धारण करते समय, राज्य की तकनीकी संभावनाओं जैसा कि इसका आकलन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया हो, पर भी विचार किया जाएगा ।

6. मांग–परक प्रबंधन प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देश

(1) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा ब्यूरो द्वारा पदाभिहित राज्य समन्वय अभिकरण के परामर्श से निम्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगा :

(क) भार तथा विपणन अनुसंधान

(ख) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(ग) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का लागत प्रभावोत्पादक आकलन

(घ) मांग–परक प्रबंधन योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(ङ) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु अर्हता के मानदण्ड

(च) मांग–परक प्रबंधन के लक्ष्यों को निर्धारित करने की क्रियाविधि तथा निधिका स्तर

(छ) आंकड़ा–आधाररित विकास संरचना

(2) आयोग, उपरोक्त विषयों पर समय–समय पर दिशाा – निर्देश जारी करेगा।

(3) इस प्रकार जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देश वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांग–परक प्रअंधन योजना को तैयार करने तथा प्रस्तुति के लिए पूर्वापेक्षित नहीं होंगे।

7. मांग–परक प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन, इसकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार गठित किए गए मांग–परक प्रबंधन प्रकोष्ठ

को इन विनियमों के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक प्राधिकार तथा संसाधन प्रदान किए जाएंगे।

(2) मांग–परक प्रबंधन प्रकोष्ठ निम्न के लिए उत्तरदायी होगा:

(क) भार अनुसंधन तथा आधार–रेखा आंकड़े विकसित करना;

(ख) मांग–परक प्रबंधन योजना को प्रतिपादित करना;

(ग) मांग–परक प्रबंधन परियोजनाओं का रूपांकन करना तथा इनमें सम्मिलित है इन्हें विकसित करना, जिसमें लागत– लाभ विश्लेषण, क्रियान्वयन संबंधी योजनाओं, अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन तथा मापन एवं सत्यापन;

(घ) मांग–परक प्रबंधन योजना तथा वैयक्तिक कार्यक्रमों हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना;

(ङ) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(च) अन्य कोई अतिरिक्त कृत्य जैसे कि आयोग द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएं।

8. भार तथा विपणन अनुसंधान तथा आधार –रेखा आंकड़ों का विकास.–

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आवश्यक आकंड़ा– आधार तैयार करने के प्रयोजन से लक्ष्यबद्ध उपभोक्ता क्षेत्र(ों)/ मांग–परक प्रबंधन हेतु उपभोक्ता उपयोग हेतु भार अनुसंधान का कार्य हाथ में लेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विशिष्ट ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी तथा इनके अनुप्रयोगों के बारे में, विणपन की संभावनाओं का अनुमान लगाने हेतु प्रमुख निष्पादन संकेतकों की स्थापना करने तथा विद्यमान आधार–रेखा विणपन की परिस्थितियों के अवधारण हेतु विपणन अनुसंधान का कार्य हाथ में लेगा।

(3) भार तथा विपणन अनुसंधान से प्राप्त परिणामों के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत् प्रदाय क्षेत्र में आधार–रेखा आंकड़े विकसित किए जाएंगे।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उपलब्ध आंकड़े तथा ब्यूरो द्वारा पूर्व में सम्पन्न कराए गए अध्ययनों के आधार पर कुछ प्रारंभिक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम रूपांकित,

विकसित तथा क्रियान्वित किए जाएंगे जब तक उसके प्रदाय क्षेत्र हेतु सम्पूर्ण आधार–रेखा आंकड़े उपलब्ध न हो जाएं तथा यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस प्रकार के प्रारंभिक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का रूपांकन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पूर्वपेक्षा न होगा।

9. मांग–परक प्रबंधन योजना का प्रतिपादन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि की आच्छदित अवधि के लिए एक दृष्टिकोण मांग–परक प्रबंधन परियोजना प्रतिपादित जाएगा तथाइसे आयोग के समक्ष इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना मूं निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे–

(क) मांग–परक प्रबंधन योजना का समग्र लक्ष्य;

(ख) मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का वर्णन जो मांग–परक प्रबंधन योजना का भाग बनेंगे;

(ग) योजना के अंतर्गत समग्र रूप से क्रियान्वयन प्रक्रिया तथा प्रत्येक कार्यक्रम की समयावधि;

(घ) अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन संबंधी योजना;

(ङ) कार्यक्रमों का निर्देशात्मक लागत प्रभावोत्पादकता आकलन:

परन्तु इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रथम मांग–परक योजना तैयार की जाएगी तथा बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि के समापन तक लागू रहेगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी दृष्टिकोण योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा विकसित किए गए समस्त सुसंबद्व मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम (बहु–राज्यीय कार्यक्रमों को शामिल करते हुए) सम्मिलित किए जाएंगे, जैसे तथा जब ऐसे कार्यक्रम की घोषणा ब्यूरो द्वारा की जाए।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्रमिक आधार पर आगामी वर्ष हेतु दृष्टिकोण योजना से सुसंगत वार्षिक निष्पादन समीक्षा के साथ एक वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा।

(4) मांग–परक प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का

चयन तथा प्राथमिकता के निर्धारण का मागदर्शन निम्न कारकों द्वारा किया जाएगा:

(एक) आयोग द्वारा जारी किए गए लागत प्रभावोत्पादक दिशा– निर्देश;

(दो) विनियम में चिन्हांकित किए गए मांग–परक प्रबंधन उद्देश्य;

(तीन) क्या प्रस्तावित कार्यक्रम ब्यरो द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के अनुपूरक हैं;

(चार) कार्यक्रमों का उच्च दृष्टिकोण से युक्त होना, अतएव उपभोक्ताओं में इनके बारे में जागरूकता के सृजन की संभावनाओं का पाया जाना।

10. आयोग द्वारा समीक्षा तथा मांग–परक प्रबंधन योजना का अनुमोदन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष मांग–परक प्रबंधन योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(2) मांग–परक प्रबंधन योजना को अनुमोदन प्रदान करने हेतु आयोग ऐसी प्रक्रियाएं अपना सकेगा जैसा कि वे कार्यसंचालन विनियमों में निर्दिष्ट की गयी हैं।

11. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम अभिलेख तैयार करना

(1) मांग–परक प्रबंधन योजना में सम्मिलित प्रत्येक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम हेतु एक विस्तृत विवरण, एक पृथक कार्यक्रम अभिलेख में प्रस्तुत किया जाएगा। इस विस्तृत विवरण में सम्मिलित होगी सामान्य जानकारी, प्रौद्योगिकी उपयोग के बारे में अनुसूची बजट, लागत प्रभावोत्पादक आकलन, विस्तृत क्रियान्वयन योजना बजट संबंधी अनुमान।

(2) प्रत्येक मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम हेतु लागत–लाभ विश्लेषण की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श द्वारा लागत प्रभावोत्पादकता के बारे में आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

12. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम अभिलेख का अनुमोदन

(1) किसी मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पूर्व, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से अनिवार्य रूप से अनुमोदन अभिप्राप्त करना होगा।

(2) प्रत्येक कार्यक्रम अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) कार्यक्रम का वर्णन;

(ख) कार्यक्रम के उद्देश्य तथा मूलाधार;

(ग) उपभोक्ता खण्ड तथा सहभागिता का अनुमानित स्तर;

(घ) आधार–रेखा का प्राक्कलन;

(ङ) आयोग द्वारा जारी लागत प्रभावोत्पादक दिशा–निर्देशों से संरेखित कार्यक्रम का आकलन;

(च) लागत तथा निष्पादन प्रोत्साहनों की वसूली के बारे में क्रियाविधि;

(छ) विपणन, प्रदाय रणनीति तथा कार्यान्वयन अनुसूची;

(ज) कार्यान्वयन क्रियाविधि, जैसे कि, ऊर्ज सेवा कम्पनियां, मांग–परक प्रबंधन बोली प्रक्रिया, मांग–परक प्रबंधन हेतु संसाधनों का अधिग्रहण, आदि;

(झ) अनुश्रवण तथा मूल्यांकन योजना;

(ञ) उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण/ अध्ययन गोष्ठियां/ कार्यशालाएं।

(3) आयोग, मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम को अनुमोदित करेगा यदि वह विनियमों में किए गए प्रावधानों में निर्धारित उद्देश्य के समान है। आयोग, मांग–परक प्रबंधन के उद्देश्यों से सुसंगति सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित अथवा चालू कार्यक्रमों के बारे में संशोधन हेतु निर्देश प्रदान कर सकेगा। तथापि, आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्यक्रम में संशोधनों के आरे में उपभोक्ताओं को अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त समय देगा।

13. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मांग–परक प्रंबधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हाथ में लेगा।

(2) कार्यक्रम का क्रियान्वयन आयोग द्वारा अनुमोदित रीति में किया जाएगा।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी त्वरित लाभ प्रदान करने वाले मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हाथ में लेगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सौंपी गयी गतिविधियों का निष्पादन उसके द्वारा स्वंय या फिर किसी समुचित स्वतंत्र इकाई के नियोजन के माध्यम से क्रियान्वित करेगा।

(5) ऐसा करते समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्रम के निष्पादन के दौरान निरन्तरता तथा सुसंगतता बनी रहे तथा उपभोक्ताओं के हित के साथ भी किसी प्रकार का समझौता न हो।

14. लागत की वसूली हेतु क्रियाविधि

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यक्रमों के नियोजन, रूपांकन तथा क्रियान्वयन से संबद्ध शुद्ध धनात्मक लागतें, यदि कोई हों, को चिन्हांकित किया जाएगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत्–दर या फिर किसी अन्य क्रियाविधि द्वारा शुद्ध धनात्मक लागतों की वसूली पद्धति प्रस्तावित कर सकेगा।

(3) लागत वसूली हेतु अर्हता के प्रयोजन से, प्रत्येक कार्यक्रम को :

(क) क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदित कराया जाना;

(ख) पूर्व अनुमोदित कार्यक्रम योजना के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा;

(ग) लागत प्रभावोत्पादक ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को अथवा आयोग द्वारा निर्धारित किए गए तृतीय पक्षकार को उसके द्वारा मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों के मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन को क्रियान्वित करने में समस्त आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा।

(5) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश दे सकेगा जो भले ही लागत प्रभावोत्पादक न भीहों किन्तु समाज के लिए अत्यंत लाभकारी हो। आयोग, परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा।

15. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मांग–परक प्रबंधन को पूरा करने तथा रिपोर्ट को मानीटर करने के लिए योजना बनाएगा।

16. मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रम का मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन बाबत् जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार मांग–परक प्रबंधन कार्यक्रमों से बचत के मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन हेतु योजना तैयार करेगा।

(2) आयोग द्वारा तृतीय पक्षकार मूल्यांकन, मापन तथा सत्यापन या फिर उसके द्वारा नियुक्ति किए गए किसी अन्य तृतीय पक्षकार के माध्यम से कराया जा सकेगा:

परंतु किसी अभिकरण को नियोजित करते समय आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजित किए गए अभिकरण द्वारा ऐसा कोई अन्य विनियोजन निष्पादित नहीं किया जा रहा है जो राज्य के उपभोक्ताओं के हितों के विरोधाभासी हो।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मांग–परक प्रबंधन से प्राप्त बचत के मापन तथा सत्यापन हेतु आयोग को या उसके द्वारा नियोजित तृतीय पक्षकार को समस्त आवश्यक जानकारी/आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

17. मांग–परक प्रबंधन योजना तथा कार्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रतिवेदन

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक छह माह मांग–परक प्रबंधन योजना की प्रगति

से संबंधित प्रतिवेदन तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित समस्त व्ययों की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्यक्रम पूर्ण किए जाने संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा इसे कार्यक्रम पूर्ण करने के एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(3) इस प्रतिवेदन में, कार्यक्रम संबंधी व्ययों, उपलब्धियों, निष्पादन तथा परिणामों विवशताओं के साथ– साथ कठिनाईयां जिनका सामना किया गया, निष्कर्षों, अनुशंसाओं, अनुभव के आधार पर प्राप्त शिक्षाएं तथा भविष्यगामी मार्ग संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

18. व्यावृत्ति

(1) आयोग किसी भी समय इन विनियमों के उपबंधों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा।

(2) यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत हो तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों जैसे उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(3) आयोग, समय–समय पर विनियमों के क्रार्यान्वयन के बारे में तथा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया बाबत् ऐसे आदेश तथा व्यावहारिक दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा।

(4) इन विनियमों से उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निर्णय, आयोग द्वारा व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर लिया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, Dated: 05.10.2016

No. 1616 /MPERC /2016 - in exercise of the powers conferred by clause (zp) of sub-section (2) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, regarding MPERC (Demand Side Management) Regulations, 2016, namely:-

REGULATIONS

1. Short Title, extent and Commencement.-

(1) These Regulations may be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2016". (G-42 of 2016)

(2) These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh concurrent with the jurisdiction for the supply of electricity by the distribution licensees.

(3) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these Regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003);

(b) "Baseline data" means the initial base level consumption and/or demand for electricity before a DSM programme begins to provide a starting point for comparison for assessing programme impact";

(c) "Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of section 2 of The Energy Conservation Act, 2001;

(d) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(e) "Cost Effectiveness Index" means an indicator of the attractiveness

of any investment in DSM programme or when compared to the costs of energy produced and delivered in the absence of such an investment;

(f) "Demand Side Management (DSM)" means the actions of a Distribution Licensee, beyond the customer's meter, with the objective of altering the end-use of electricity - whether it is to increase demand, decrease it, shift it between high and low peak periods, or manage it when there are intermittent load demands - in the overall interests of reducing Distribution Licensee costs;

(g) "DSM Resource Acquisition" means a mechanism to implement DSM projects through customers, Energy Service Companies, Non-Government Organisations, manufacturers/ suppliers, or other private sector organizations, with payment made to them by the Distribution Licensee for the resultant energy and load reductions;

(h) "Energy Service Company" means a company which is in the business of providing energy efficient and load management equipment and/or services to end-use customers and is approved by Bureau;

(i) "Evaluation, Measurement and Verification" means activities which evaluate, measure and verify performance or other aspects of DSM/energy efficiency programs or their market environment;

(j) "Monitoring and Reporting" means activities which monitor and evaluate the progress of DSM/energy efficiency programs of the Distribution Licensee.

3. Objectives, targets and guidelines of Demand Side Management (DSM).-

(1) The Commission in consultation with the Distribution Licensees of State and the State nodal agency designated by the Bureau shall formulate DSM objectives that shall be considered in the advancement and implementation of cost effective DSM initiatives in the State.

(2) The objectives may include power shortage mitigation, seasonal peak reduction, cost effective energy savings, lowering the cost of electricity, reduction in emissions of greenhouse gases etc.

(3) While formulating the DSM Objectives, National DSM Objectives/ Plans formulated by the Bureau if any, may be taken into consideration.

(4) The DSM objectives may be consistent with the DSM objectives set out by Bureau as a part of Energy Conservation Plan for the country.

4. Assessment of technical potential for DSM.-

(1) The Distribution Licensees and the State nodal agency designated by the Bureau shall carry out assessment of potential for DSM in the State within 6 months from the date of notification of Regulations.

(2) Distribution Licensee shall be guided by methodology developed by the Bureau while assessing of technical potential for DSM.

5. DSM Targets.-

(1) The Commission in consultation with the Distribution Licensees and the State nodal agency designated by the Bureau shall establish DSM targets for each Distribution Licensee in the State.

(2) While setting DSM target for the Distribution Licensee, due consideration to factors such as consumer mix, load profile, etc. shall be given.

(3) Examples of DSM targets may include the following:

(i) Percentage reductions in load growth;
(ii) Savings in kW, kWh;
(iii) Savings as a percent of total resources to meet load;

(4) While establishing the targets, the technical potential in the State as assessed by the Distribution Licensee shall be considered.

6. Guidelines on DSM process.-

(1) The Commission in consultation with the Distribution Licensees and the State nodal agency designated by the Bureau shall issue

guidelines for execution of the following activities :

(a) Load and market research

(b) Implementation of DSM programmes

(c) Cost Effectiveness Assessment of DSM programmes

(d) Monitoring and Reporting of DSM Plans and programmes

(e) Eligibility criteria for DSM programmes

(f) Methodology for setting DSM targets and funding levels

(g) Database development framework

(2) The Commission shall issue guidelines on these matters from time to time

(3) Issuance of such guidelines shall not be a pre-requisite for preparation and submission of the DSM plan by the Distribution Licensee.

7. Constitution of DSM Cell, its roles and responsibilities.-

(1) The DSM Cell so constituted by the Distribution Licensee shall be provided with necessary authority and resources so as to execute the functions assigned to it under these Regulations

(2) The DSM Cell shall be responsible for:

(a) load research and development of baseline data;

(b) formulation of DSM Plan;

(c) design and development of DSM projects including cost benefit analysis, plans for implementation, monitoring and reporting and for measurement & verification;

(d) seeking necessary approvals to DSM Plan and individual programmes;

(e) implementation of DSM programmes;

(f) Any other additional function that may be assigned by the Commission from time to time.

8. Load and market research and development of baseline data.-

(1) Distribution Licensee shall undertake load research to identify the target consumer segment/s and end uses for DSM programmes to build the necessary database.

(2) Distribution Licensee shall undertake market research to estimate market potential for specific energy efficiency technologies and applications, establish key performance indicators, and determine existing baseline market conditions.

(3) On the basis of the results of load and market research, the Distribution Licensee shall develop baseline data for its area of supply.

(4) Distribution Licensee shall design, develop and implement the initial few DSM programmes on the basis of available data and studies completed by the Bureau till the complete baseline data is available for its area of supply and establishment of base line data shall not be a pre-requisite for design of such initial DSM programmes by the Distribution Licensee.

9. Formulation of DSM Plan.-

(1) Distribution Licensee shall formulate and submit to the Commission a perspective DSM plan covering period of the control period, within one year of notification of these regulations. The Plan shall include:

(a) an overall goal for DSM Plan;
(b) description of DSM programmes to form a part of DSM Plan;
(c) implementation process and schedule of each programme in the plan as a whole;
(d) plan for Monitoring and Reporting;
(e) indicative cost effectiveness assessment of programmes.

Provided that the first DSM plan shall be prepared within one year of the date of notification of these Regulations and shall be applicable for the period till the end of ongoing MYT Control Period.

(2) The Distribution Licensee shall include all relevant DSM programmes (including multi-state programmes) developed by Bureau in its perspective plan as and when such programmes are announced by Bureau.

(3) The Distribution Licensee shall submit on rolling basis, an annual plan, not inconsistent with the perspective plan, for upcoming year, along with the Annual Performance Review.

(4) Selection and prioritisation of various DSM programmes in the DSM plan shall be guided by the following factors:

(i) The cost effectiveness guidelines issued by the Commission.

(ii) DSM objectives identified in Regulation.

(iii) Whether the proposed programmes supplement National level efforts adopted by the Bureau.

(iv) Programmes with high visibility and therefore potential for creation of awareness within consumers.

10. Commission review and approval of DSM plan.-

(1) Distribution Licensee shall submit the DSM plan to the Commission for approval.

(2) The Commission may adopt procedures as specified in the Conduct of Business Regulations for approval to the DSM plan.

11. Preparation of DSM Programme Document.-

(1) For each DSM programme included in the DSM Plan, a detailed description shall be provided in a separate Programme Document. The description shall include general information, technology, schedule for deployment, budget, cost effectiveness assessment, detailed implementation plan, estimation of savings, etc.

(2) For each DSM programme, cost benefit analysis shall be carried out as per guidelines issued by the Commission in consultation with the Distribution Licensee on cost effectiveness from time to time.

12. Approval of DSM Programme Document.-

(1) Prior to implementing any DSM programme, Distribution Licensee must obtain approval of the Commission.

(2) Each Programme Document shall include the following:

(a) Description of the programme;
(b) Objectives and rationale for the programme;

(c) Consumer segments and estimated level of participation;

(d) Estimate of baseline;

(e) Assessment of programme in line with Cost Effectiveness Guidelines issued by the Commission;

(f) Mechanism for recovery of cost and performance incentives;

(g) Marketing, delivery strategy and Implementation schedule;

(h) Implementation mechanism e.g. Energy Service Companies, DSM Bidding, DSM Resource Acquisition, etc;

(i) Monitoring and evaluation plan;

(j) Plan for Training/Seminars/Workshops to increase consumer awareness.

(3) The Commission shall approve a DSM program if it is in line with the objectives set out in accordance with the provisions of Regulations. The Commission may direct modifications to proposed or on-going programmes to ensure consistency with the DSM objectives. However, the Commission shall allow Distribution Licensee adequate time to notify consumers of program modification.

13. Implementation of DSM programmes.-

(1) Distribution Licensee shall undertake implementation of DSM programmes in line with the guidelines issued by the Commission from time to time.

(2) The implementation of the programme shall be undertaken in the manner as approved by the Commission.

(3) Distribution Licensee shall undertake implementation of quick gain DSM programmes.

(4) Distribution Licensee shall carry out implementation of activities assigned to it either by itself or through engagement of appropriate independent entity.

(5) The Distribution Licensee shall ensure that during implementation the continuity and consistency is maintained and interest of the consumers is not compromised.

14. Mechanism for Cost Recovery.-

(1) Distribution Licensee shall identify the net incremental costs, if any, associated with planning, design and implementation of programmes .

(2) Distribution Licensee may propose methodology for recovery of net incremental costs through tariff or any other mechanism.

(3) In order to qualify for cost recovery, each program must be:

(a) approved prior to implementation;

(b) implemented in accordance with the approved program plan; and

(c) implemented cost effectively.

(4) Distribution Licensee shall provide all necessary assistance to the Commission, or third party assigned by the Commission in undertaking Evaluation Measurement and Verification of DSM programmes implemented by it.

(5) The Commission may direct the Distribution Licensee to undertake DSM programmes that may not be cost effective but is highly beneficial to the society. The Commission shall make available resources for such project.

15. Monitoring and reporting of DSM Programmes.-

Distribution Licensee shall prepare a plan to undertake and monitor the report of DSM programmes as per Guidelines issued by Commission from time to time.

16. Evaluation, Measurement and Verification of DSM Programme.-

(1) Distribution Licensee shall prepare plan for evaluation, measurement and verification of savings from DSM programmes as per Guidelines on Evaluation, Measurement and Verification issued by the Commission from time to time.

(2) Third party Evaluation, Measurement and Verification of DSM programmes may be undertaken by the Commission or third party assigned by Commission:

Provided that while engaging the agency, the Commission shall ensure that the Agency is not undertaking any other engagement which could conflict with the interests of the consumers in the State.

(3) Distribution Licensee shall make available necessary information/data to the Commission or third party assigned by the Commission to measure and verify the savings from DSM programmes.

17. DSM Plan and Programme Completion Report.-

(1) Reports on progress of DSM Plan and expenses incurred on implementation of DSM Plan shall be submitted by the Distribution Licensee every six months.

(2) The Distribution Licensee shall prepare a detailed Program Completion Report and submit the same to the Commission within one month of completion of such programme.

(3) The Report shall cover the programme expenses, achievements, outcomes and outputs, constraints and difficulties faced, conclusions, recommendations, lessons learned and way forward.

18. Savings .-

(1) The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

(2) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty

(3) The Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the regulations and procedures to be followed.

(4) All disputes arising under these regulations shall be decided by the Commission based on an application made by the person aggrieved.

By order of the Commission,
SHAILENDRA SAXENA, Secy.